बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ई-मेल
कुरियर

पत्रांक 17/आव० पटना, दिनांक 10/03/11

ग्रा.वि.-7/एस.जी.एस.वाई.(आवं.)-23/10

प्रेषक,

श्रीकृष्ण त्रिपाठी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
पश्चिम चम्पारण ।

विषय : **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2010-11 में विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि 641.21 लाख (छः करोड़ एकतालीस लाख इक्कीस हजार) रूपये के विरूद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कुल 213.737 लाख (दो करोड़ तेरह लाख तिहत्तर हजार सात सौ) रूपये मात्र की राशि का वर्तमान वितीय वर्ष 2010-11 में आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7085 दिनांक-02.07.2010

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वितीय वर्ष 2010-11 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- J-12014/03/2010-SGSY-I(234) दिनांक-28.02.2011 द्वारा विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि **641.21 लाख (छः करोड़ एकतालीस लाख इक्कीस हजार) रूपये के विरूद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कुल 213.737 लाख (दो करोड़ तेरह लाख तिहत्तर हजार सात सौ)** रूपये मात्र की राशि वर्ष 2010-11 में आवंटित की जाती है ।

2. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7085 दिनांक-02.07.2010 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3. आवंटित राशि का व्यय मांग संख्या-42, बजट शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय-उप शीर्ष-0102-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं विपत्र कोड-पी0-2501018000102 राज्य योजना स्कीम कोड-**RUR-5374** के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के अंतर्गत विकलनीय है ।

4. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त-सह प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण से की जायेगी ।

5. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दि0-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि0-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।

9/3

6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दिनांक-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त अग्रिम निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-8593 दिनांक-17.11.07 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी ।

7. उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरूद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 9/3/11
(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 17/आवं० पटना, दिनांक 10/03/11

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 9/3/11
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 17/आवं० पटना, दिनांक 10/03/11

प्रतिलिपि- वित विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/श्रीमती नीता केजरीवाल, उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रा0वि0वि0, बिहार, पटना/श्री प्रिय नवीन, आई0टी0मैनेजर/ सांख्यिकी सहायक (श्री सुशील कुमार सिन्हा), ग्रा0वि0 वि0, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-6) एवं प्रशाखा-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-7 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

(हस्ताक्षर) 9/3/11
सरकार के विशेष सचिव

9.3.11